बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री कुमार मनोज (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–103/24), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, विभागीय मुख्यालय के विरूद्ध डीलर मार्जिन मनी के भुगतान में अभिरूचि नहीं लेने, माह अगस्त, 2025 के लिए जिला से आवंटित सी0एम0आर0 के उठाव में शिथिलता बरतने, मुख्यालय द्वारा अधिसूचित गोदामों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करने तथा भंडारण मद में अनावश्यक व्यय करने एवं अनुशासनहीनता बरतने, वित्तीय अनियमितता, कार्य के प्रति लापरवाही के साथ बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1)(i), (ii) एवं 3(3) के संगत प्रावधानों के उल्लंघन करने संबंधित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री मनोज के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–2895 दिनांक–21.10.2025 द्वारा उनसे लिखित बचाव बयान की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री मनोज द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार मनोज (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–103/24), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, विभागीय मुख्यालय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क) में वर्णित प्रावधान के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री मनोज का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बगहा, प0 चम्पारण निर्धारित किया जाता है।

4. श्री मनोज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–10 में निहित प्रावधान के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(औरंगाबाद)–18/2025– 3429 /खाद्य, पटना/दिनांक– 03.12.2025

प्रतिलिपि–1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण (बेतिया)/औरंगाबाद एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, औरंगाबाद/प0 चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।

7. श्री कुमार मनोज (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–103/24), E-Mail : kumarmanoj06081979@gmail.com, Mobile No. 9304012465 निलंबित आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव।